भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3860

जिसका उत्तर 18 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है ।

27 अग्रहायण, 1946 (शक)

आईटी नियम, 2021

3860.श्रीमती साजदा अहमद:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मुम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली में किए गए संशोधनों को संशोधित अथवा रद्द करने का प्रस्ताव है;

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जाएंगे कि गलत सूचना से निपटने के लिए भविष्य का तंत्र कोई भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हेतु संवैधानिक सुरक्षोपायों का अनुपालन करे;

(ग) क्या सरकार का डिजिटल स्पेस में नागरिकों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण के साथ गलत सूचना में निपटने की आवश्यकता को संतुलित करने का प्रस्ताव रखती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने अनुचित सेंसरशिप लगाए बिना गलत सूचना के निष्पक्ष और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया मध्यवर्तियों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश लागू किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ):भारतसरकारसाइबरस्पेससहितअभिव्यक्तिकीआजादी कोउच्च प्राथमिकतादेतीहै, जैसा कि संविधानकेअनुच्छेद 19 मेंनिहितहै, लेकिन यह अभिव्यक्ति उक्त अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट कतिपय न्यायसंगत प्रतिबंधों के अध्ययधीन है।एक बड़ी और स्वतंत्र इंटरनेटसुविधा से युक्त समाजकेके तौर पर, भारतसोशलमीडियाकंपनियोंसहितडिजिटलसेवाप्रदाताओंकादेशमेंइंटरनेट की सुविधा का संचालन करने औरव्यापारकरनेकेलिएस्वागतकरताहै। इसकेसाथही वह देश के संविधानऔरकानूनोंकेप्रतिउनकीजवाबदेहीपर भीजोरदेताहै।

पिछलेकुछवर्षोंमें, गैर-कानूनी तौर पर काम करने वालोऔरअपराधियोंद्वारासोशलमीडियाकादुरुपयोग किये जाने केमामलेबढ़रहेहैं, जिनमेंमनगढ़ंतसामग्री, छेड़छाड़कीगईतस्वीरें, अश्लीलसामग्री, झूठेआख्यान, धार्मिकभावनाओंकाघोरअपमानकरनेवालीसामग्री, वैमनस्यऔरघृणाफैलाने, हिंसाभड़काने तथासार्वजनिकव्यवस्थाको बिगाड़ने, जिनसे कि समाज पर व्यापक स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, से संबंधित मामले शामिल होते हैं। इनसरोकारोंकोसंसदऔरइसकीसमितियों, न्यायिकआदेशोंमें और सिविल सोसायटीज जैसे मंचों पर समय-समय पर होने वाली चर्चाओं में उठाया गया हैसरकारफर्जीऔरभ्रामकसूचनाओंकेप्रसारकोरोकने करनेकेलिएहरसंभवकार्रवाईकरतीहै।

सरकार द्वारा भारतीयसंविधानकेअनुच्छेद 19 केतहतनागरिकोंकोदिएगएअभिव्यक्तिकीस्वतंत्रताकेअधिकारकीरक्षाकरनेऔरयहसुनिश्चितक रनेकेलिएकिइंटरनेटपरउपलब्धजानकारीविश्वसनीयहोऔरभ्रामक न हो, सरकारजबभीआवश्यकहोकानूनऔरनियमबनातीहै। इसदिशामें,

इंटरनेटकोगैरकानूनीगतिविधियोंसेबचाने,
उपयोगकर्ताओंकेबीचसुरक्षाऔरविश्वाससुनिश्चितकरनेऔरदेशकेकानूनकेप्रतिजवाबदेहीसुनिश्चितकरनेकेलिए, इलेक्ट्रॉनिकीऔरसूचनाप्रौद्योगिकीमंत्रालय ("मंत्रालय") नेसूचनाप्रौद्योगिकीअधिनियम, 2000 ("आईटीअधिनियम") केतहतदीगईशक्तियोंकाप्रयोगकरतेहुएसूचनाप्रौद्योगिकी (मध्यवर्तीदिशानिर्देशऔरडिजिटलमीडियाआचारसंहिता) नियम, 2021 ("आईटीनियम, 2021") कोअधिसूचितकियाथा, जिसेबादमेंसंशोधितकियागयाथा। आईटीनियम, 2021 केतहतविनिर्धारितअन्यअपेक्षित प्रतिबद्धता संबंधी दायित्वोंकेअलावा, मध्यस्थोंद्वारासंविधानकेतहतनागरिकोंकोदिएगएसभीअधिकारोंकासम्मानकरनाभीआवश्यक है, इनमेंअनुच्छेद 14, 19 और 21 के प्रावधानभीशामिलहैं। इसकेअलावा, साइबरस्पेसमेंभ्रमकसूचनाजैसेउभरतेजोखिमोंकोदूरकरनेकेलिए, मंत्रालयद्वाराउद्योग जगतकेहितधारकों/सोशलमीडियाप्लेटफार्मोंकेसाथकईपरामर्शकिए गयेऔरसमय-समयपरएडवाइजरीज जारीकीगई, जिनकेमाध्यमसेमध्यस्थोंकोआईटीनियम, 2021 में उनके संबंध में निर्धारित किये गये दायित्वोंकेबारेमेंयाददिलायागयाऔरदुर्भावनापूर्ण 'सिंथेटिकमीडिया' और 'डीपफेक' सहितगैरकानूनीसामग्रीकामुकाबलाकरनेकीसलाहदीगई।

मुम्बईउच्चन्यायालयने2023 की डब्ल्यूपी(एल) संख्या 9792 केमामलेमेंफैसलासुनायाहैकिकेंद्रसरकारकेकिसीभीव्यवसायकेसंबंधमेंफर्जीयाझूठीयाभ्रामक जानकारीकीपहचानकेसंबंधमें 2023 मेंसंशोधितआईटीनियम, 2021 केनियम 3(1)(बी)(वी) कोरद्दकियाजासकताहै।

आईटीअधिनियमऔरभारतीयन्यायसंहिता, 2023 (“बीएनएस”) मेंभ्रामकसूचनाऔरफर्जीखबरोंकेखतरेसेनिपटनेकेलिएकईप्रावधानहैं,
जिनमेंकंप्यूटरसंसाधनकाउपयोगकरकेधोखाधड़ी, पहचानकीचोरी, सार्वजनिकशरारतकरनेवालेबयानोंजैसेकईअन्यप्रावधानोंकेअलावाअन्यकृत्योंके मामले दंडित करना शामिल हैं। बीएनएस अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकमाध्यमोंसहितझूठीसूचना, अफवाहयाखतरनाकसमाचारवालेकिसीभीबयानयारिपोर्टकोबनाने,
प्रकाशितकरनेयाप्रसारितकरनेकेलिएदंडितकरने का प्रावधानहै।

******